राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस. बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 99/2023

1. रामनारायण पुत्र नाथू, निवासी- मोदी की चौकी, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस, टोंक (राजस्थान)।

2. भूरा पुत्र नाथू, निवासी- मोदी की चौकी, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस, टोंक (मृत) के निवासी अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से।

2/1.श्रीमती पार्वती, स्वर्गीय भूरा की पत्नी, निवासी- मोदी की चौकी, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस, टोंक (राजस्थान)।

- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. महावीर पुत्र सोभागमल जैन, वार्ड नं. 14, टाउन टोडरईसिंह, थाना टोडरईसिंह, जिला टोंक (राजस्थान)।

2. प्रदीप पुत्र सोभागमल जैन, निवासी- टोडरायसिंह, जिला- टोंक(राजस्थान)।

3. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से।

- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री आर. एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

श्री बजरंग लाल चौधरी, एडवोकेट

प्रतिवादियों के लिएः श्री देशराज घोशिंगा, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार ढण्ड

आरक्षित करने की तिथि: **10/01/2023**

निर्णय सुनाने की तिथिः **17/01/2023**

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>आदेश</u>

(1) इस याचिका में मुद्दा यह है कि क्या मुकदमे के पक्षकारों को उन अंतिम कार्यवाहियों को फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया है और क्या देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोले गए अंतिम शब्द और कानून को प्रभावी किया जाना चाहिए?

(2) यह याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में सी.आर.पी.सी.) के तहत टोंक जिले के टोडरसिंह के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.10.2022 को पारित आक्षेपित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा तहसीलदार और स्टेशन हाउस ऑफिसर (संक्षेप में एसएचओ), टोडरायसिंघ को ओझापुरा तहसील टोडरायसिंघ के खसरा नं. 78, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97 किता 9 रकबा 3.21 हेक्टेयर भूमि को पार्टी नंबर 2 रामनारायण व अन्य से पार्टी नंबर 1 महावीर सिंह व अन्य को सुपुर्द करें।

(3) संक्षेप में वर्तमान याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य यह हैं कि एस.एच.ओ ने सहायक कलेक्टर-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, टोडरायसिंघ (संक्षेप में 'द मजिस्ट्रेट') की अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक आपराधिक शिकायत दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि महावीर और अन्य लोगों (पार्टी नंबर 1) और रामनारायण, भूरा और अन्य (पार्टी नंबर 2) के बीच खसरा संख्या 78, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97 रकबा

भूमि को लेकर विवाद है। दोनों पक्षों ने विवादित भूमि पर अपना दावा किया।

(4) विद्वत मजिस्ट्रेट ने 03.12.1998 को एक प्रारंभिक आदेश पारित किया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए.इसके बाद एस.एच.ओ टोडरायसिंघ ने उक्त जमीन कुर्क करने और जमीन की खेती के लिए रिसीवर नियुक्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने कब्जे का दावा किया और शांति भंग होने की संभावना है।इस रिपोर्ट पर, विद्वत मजिस्ट्रेट ने 15.05.2001 को प्रश्नगत संपत्ति को कुर्क कर दिया और एसएचओ टोडरायसिंघ को भूमि पर रिसीवर के रूप में नियुक्त किया।

(5) इस आदेश से व्यथित होकर, याचियों ने आपराधिक संशोधन याचिका संख्या 42/2001 प्रस्तुत की, लेकिन इसे दिनांक 20. 06. 2001. के आदेश द्वारा रिविजनल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था।याचियों ने एस. बी. आपराधिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 633/2001 दाखिल करके 15.05.2001 और 20.06.2001 दिनांकित दोनों आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और इसकी अनुमति दी गई और दोनों आदेश रद्द कर दिए गए और इसके परिणामस्वरूप, प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचियों/पार्टी नं. 2 को सौंप दिया गया.

(6) प्रश्नगत भूमि 2016 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्की के अधीन रही और अंततः विद्वत मजिस्ट्रेट ने दिनांक 24.10.2016 के आदेश द्वारा शिकायत का फैसला किया और प्रश्नगत भूमि पर याचियों के कब्जे की घोषणा की।

(7) दिनांक 24.10.2016 के आदेश से असंतुष्ट, पार्टी नं. 1 अर्थात प्रत्यर्थी महावीर और अन्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालपुरा जिला टोंक की अदालत के समक्ष एक आपराधिक संशोधन याचिका संख्या 56/2016 प्रस्तुत की और इसे दिनांक 30.10.2018 के आदेश द्वारा अनुमति दी

गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पार्टी नं. 2 यह साबित करने में विफल रही कि उनके पास 03.12.1998 और दो महीने पहले प्रश्नगत भूमि थी। पुनरीक्षण न्यायालय ने विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.10.2016 को पारित आदेश को रद्द कर दिया और 03.12.1998 को और 03.12.1998 से दो महीने पहले इस भूमि पर पार्टी नंबर 1 के कब्जे की घोषणा की।

(8) याचिकाकर्ताओं ने एस. बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 7361/2018 दाखिल करके दिनांक 30.10.2018 के उपरोक्त आदेश को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी और इसे 30.09.2022 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गयाः-

> "विद्वत एसडीएम अपने आदेश में गलत निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ताओं के पास 03.12.1998 से दो महीने पहले भूमि थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने कब्जे के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पुनरीक्षण अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्यर्थियों द्वारा पेश किए गए गवाहों का याचिकाकर्ताओं ने प्रतिपरीक्षण नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए गवाहों के साक्ष्य उनके बयानों में निरंतरता नहीं रखते हैं।यहां तक कि याचिकाकर्ता डी.डब्ल्यू.1 रामनारायण ने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रतिवादियों का विवादित भूमि पर कब्जा था। मेरी सुविचारित राय में, पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश अवैधता या दुर्बलता से प्रभावित नहीं है।इसलिए, वर्तमान याचिका योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।"

(9) दिनांक 30.09.2022 के इस आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अपील करने की विशेष अनुमति के लिए याचिका (आपराधिक) संख्या 10956/2022 दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 25.11.2022 को इस प्रकार खारिज कर दियाः- -

> "याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील को काफी समय तक सुनने के बाद और रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमें राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा पारित 30-09-2022 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है।
>
> तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।
>
> तथापि, हमें सूचित किया गया है कि याचियों द्वारा बहुत पहले वर्ष 1989 में दायर किया गया सिविल वाद अभी भी लंबित है. सिविल वाद का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि ऐसा कोई सिविल वाद अभी भी लंबित है, तो सिविल न्यायालय को इसका तेजी से और आज से अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है।
>
> विशेष अनुमति याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।
>
> मामले में दायर लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।"

(10) इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालपुरा, जिला टोंक द्वारा दिनांक 30.10.2018 को पारित आदेश के अनुसरण में और एस. बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 7361/2018 में इस अदालत द्वारा दिनांक 30.09.2022 को पारित आदेश के अनुसरण में, विद्वत मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार और एस.एच.ओ. टोडरायसिंघ को निर्देश दिया कि वे 20.10.2022 के आदेश द्वारा पार्टी संख्या 1 महावीर और अन्य को जमीन का कब्जा सौंप दें।

(11) दिनांक 20.10.2022 के आक्षेपित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस याचिका को दायर करके इस न्यायालय की निहित शक्तियों का उपयोग किया है।

(12) याचियों के विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के अधिकारों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रश्नगत भूमि पर वाद सहायक कलेक्टर, मालपुरा की अदालत के समक्ष लंबित है.वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वत मजिस्ट्रेट सिविल मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान प्रश्नगत भूमि का कब्जा सौंपने के लिए आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं था.वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब सिविल न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा था, तो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती और इसे समाप्त होना चाहिए।वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, दो समानांतर कार्यवाहियों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.वकील ने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही 03.12.1998 को शुरू की गई थी और वर्ष 2022 में शांति भंग होने की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए 20.10.2022 को आक्षेपित आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं था।वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा एस. बी. क्रिमिनल विविध का निर्णय करते समय 17.01.2003 को रिसीवर की नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया गया था.याचिका संख्या 633/2003 और तदनुसार प्राशनगत भूमि का कब्जा एसडीएम द्वारा

18.02.2003 को याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया गया था। वकील प्रस्तुत करते हैं कि जब तक लंबित वाद में सिविल न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पक्षकारों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन नहीं किया जाता है, तब तक पार्टी नं. 1, महावीर के पक्ष में कब्जा सौंपने का ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.वकील ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, दिनांक 20.10.2022 का आक्षेपित आदेश कानून की नजर में मान्य नहीं है और इसे इस न्यायालय द्वारा खारिज और रद्द किया जा सकता है। अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित फैसलों पर भरोसा किया हैः-

(i) सुधीर सिंह और 7 अन्य बनाम सुरेश सिंह और 3 अन्य [इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 10.07.2014 रिट सी संख्या 54709/2013 में निर्णय दिया गया]

(ii) गायत्री और अन्य बनाम रंजीत सिंह और अन्य [माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 312/2018 में 13.02.2008 को निर्णय दिया गया]

(iii) अमरेश तिवारी बनाम लालता प्रसाद दुबे [(2000) 4 एससीसी 440]

(iv) राडमल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य [1994 (1) डब्ल्यूएलसी 229]

(v) मोहम्मद आबिद और अन्य बनाम रवि नरेश और अन्य [माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी (सीआरएल) 5444/2022 में 01.11.2022 को निर्णय दिया गया]

(13) इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.10.2022 का आक्षेपित आदेश क्रमशः पुनरीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.10.2018 और 30.09.2022 के आदेशों की निरंतरता में पारित किया गया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2022 के आदेश द्वारा इन आदेशों को बरकरार रखा गया है, इसलिए विद्वत

मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार और एस.एच.ओ. टोडारायसिंह को पार्टी नंबर 1 को जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश देने में कोई गलती नहीं की है।

(14) अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

(15) इस मामले के निर्विवाद तथ्य यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा145 के तहत दायर शिकायत पर विद्वत मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत भूमि की कुर्की के लिए आदेश पारित किया.इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के तहत एक आवेदन पर थानाधिकारी टोडारायसिंह को 15.05.2001 को रिसीवर नियुक्त किया गया।हालांकि, रिसीवर की नियुक्ति के उक्त आदेश को इस न्यायालय ने दिनांक 17.01.2003 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया था।यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कहीं भी यह नहीं पाया गया कि धारा 145 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्यवाही शुरू करने के समय पार्टी नंबर 2 से कब्जा लिया गया था, लेकिन कब्जा 18 फरवरी 2003 के अनुरोध पत्र के माध्यम से मजिस्ट्रेट द्वारा पार्टी नंबर 2 को सौंप दिया गया था।

(16) धारा 145 Cr.P.C के तहत कार्यवाही अक्टूबर 2016 तक जारी रहा और अंततः 24.10.2016 को मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया गया और पार्टी नंबर 2 यानी याचिकाकर्ताओं के कब्जे को विवादित भूमि पर घोषित किया गया।इस आदेश को पार्टी नं. 1 द्वारा आपराधिक संशोधन याचिका संख्या 56/2016 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालपुरा जिला टोंक के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसे 30.10.2018 को अनुमति दी गई थी और दिनांक 24.10.2016 का आदेश रद्द कर दिया गया था और पार्टी नं. 1 के कब्जे को 03.12.1998 को और कुर्की से दो महीने पहले घोषित कर दिया गया था। पार्टी नंबर 2 यानी याचियों ने इस अदालत के समक्ष एस. बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7361/2018 में इस आदेश को चुनौती दी और इसे 30.09.2022 को खारिज कर

दिया गया और पुनरीक्षण अदालत द्वारा पारित 30.10.2018 के आदेश को बरकरार रखा गया और यह देखा गया कि एसडीएम ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि पार्टी नंबर 2 यानी याचियों का कब्जा 03.12.1998 और उस से दो महीने पहले थे, और यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता डी.डब्ल्यू.-1 रामनारायण ने प्रश्नगत भूमि पर प्राटी नंबर 1 का कब्जा स्वीकार किया है।इसलिए यह पाया गया कि पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश किसी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। दिनांक 30.09.2022 को पारित इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) की अपील संख्या 10956/2022 में चुनौती दी गई थी और इसे भी दिनांक 25.11.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, और माननीय उच्चतम न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा 30.09.2022 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। तथापि, सिविल न्यायालय को यह निदेश जारी किया गया कि यदि वाद लंबित है तो शीघ्रता से और अधिमानतः छह माह के भीतर उस पर निर्णय लिया जाए।

(17) अपर सत्र न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक) द्वारा दिनांक 30.10.2018 को पारित आदेशों और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2022 को पारित आदेश की निरंतरता में, विद्वत मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार और एसएचओ टोडारायसिंह को दिनांक 20.10.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा पार्टी नंबर 1 को सौंपने का निर्देश दिया है। कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है और दिनांक 20.10.2022 के आक्षेपित आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप पारित किया गया है, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रखा गया है।इसलिए इन परिस्थितियों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही और इन कार्यवाहियों पर पारित आदेश माननीय उच्चतम

न्यायालय तक पहुंच गए हैं।अब पार्टियों के लिए अंतिम कार्यवाही को फिर से खोलने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(18) एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमेबाजी के पहले दौर पर मुहर लगा दी है तो उसी याचिकाकर्ताओं द्वारा मुकदमेबाजी के दूसरे दौर की अनुमति नहीं है।इस प्रकार अंतिम निर्णय के सिद्धांत को सख्त कानूनी अर्थ में लागू किया जाना चाहिए। न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार की मांग है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

(19) एम. नागभूषण बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 408 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत एक तकनीकी सिद्धांत नहीं है बल्कि एक मौलिक सिद्धांत है जो मुकदमेबाजी में अंतिम रूप सुनिश्चित करने में विधि के शासन को बनाए रखता है।इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य न्याय के एक निष्पक्ष प्रशासन को बढ़ावा देना और पक्षकारों के बीच अंतिम रूप ले चुके मुद्दों पर अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना है।

(20) यह सिद्धांत दो युगों पुराने सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात्, "ब्याज गणराज्य" और "सिट फिनिस लिटियम", जिसका अर्थ है कि यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और दूसरा सिद्धांत "नेमो डेबेट बिस वेक्सारी, सी कॉन्स्टैट क्यूरे क्वोड सिट प्रो ऊना एट ईडेम कौसा" है, जिसका अर्थ है कि किसी को भी मुकदमेबाजी में दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह एक ही कारण के लिए है।

(21) इस प्रकार मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देने का सिद्धांत सार्वजनिक नीति के ठोस सिद्धांत पर आधारित है।ऐसे सिद्धांत के अभाव में कानून के रंग और दिखावे के तहत बड़ा

उत्पीड़न हो सकता है क्योंकि मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा। इस तरह की अराजकता को रोकने के लिए पूर्व न्याय का सिद्धांत विकसित किया गया है। विधि के शासन द्वारा शासित देश में निर्णय की अंतिमता पूर्णतया अनिवार्य है और निर्णय की अंतिमता से महत शुचिता जुड़ी हुई है और पक्षकारों के लिए न्यायालय के अंतिम निर्णयों को फिर से खोलना अनुज्ञेय नहीं है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित पूर्व निर्णय के सिद्धांत को भी अमान्य कर देगा, जिसे तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक ऐसा करने के लिए बाध्यकारी परिस्थितियां न हों।न्यायालय और विशेष रूप से देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को हल्के से अस्थिर नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए।

(22) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम मेजर एस. पी. शर्मा और अन्य (2014) 6 एस. सी. सी. 351 के मामले में अनुच्छेद 83 से 88 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> "83. पूर्ववर्ती कानून को पूर्वानुमानित रखता है और इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून, देश का कानून होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 141 के दृष्टिकोण में भारत के सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। न्यायिक प्रणाली केवल तभी काम करती है जब किसी को अंतिम शब्द कहने की अनुमति दी जाती है और इस प्रकार कहे गए अंतिम शब्द को स्वीकार कर उसका

अक्षरक्ष रूप से पालन किया जाता है।पूर्व निर्णय का सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देता है और यह कानून के विकास में मदद करता है।व्यक्तियों के लिए इस बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करने के अलावा कि यदि वह कानूनी कार्यवाही का चयन करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, यह सिद्धांत न्यायिक प्रशासन की प्रणाली में लोगों के विश्वास को बढ़ावा देता है।वैसे भी अनिश्चितता और भ्रम से बचना एक अनिवार्य आवश्यकता है।न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार की मांग है कि देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

84. रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और एक अन्य एआईआर 2002 एससी 1771 में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया और कहा कि इस न्यायालय का निर्णय जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है उस पुनर्विचार करना सामान्य

रूप से स्वीकार्य नहीं है।इस न्यायालय द्वारा दिए गए विधि के प्रश्न पर एक निर्णय निश्चायक था और बाद के मामलों में न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा । अदालत अपने फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकती।

85. मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 2009 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

"(22) साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि निश्चितता और निरंतरता कानून के शासन के आवश्यक तत्व हैं।विधि में निश्चितता काफी कम हो जाएगी और इसे गंभीर झटका लगेगा यदि देश का सर्वोच्च न्यायालय पहले के मामलों में उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को आसानी से खारिज कर देता है, भले ही यह दृष्टिकोण कई वर्षों से कायम रहा हो। कई मामलों में जो इस न्यायालय के सामने आते हैं, दो विचार संभव हैं, और केवल इसलिए कि न्यायालय का मानना है कि पहले के मामले में न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया दृष्टिकोण मामले का एक बेहतर दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण को खारिज करना न्यायोचित नहीं है।इस

न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है, और देश भर में कई मामलों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है।बहुत से लोग अपने क्रियाकलापों और बड़ी संख्या में लेन-देन भी इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता के विश्वास पर होते हैं।इससे अनिश्चितता, अस्थिरता और भ्रम पैदा होगा यदि इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून, जिसके आधार पर कई मामलों का निर्णय किया गया है और कई लेन-देन हुए हैं, सही कानून नहीं माना जाता है।"

इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अंतिमता के सिद्धांत को सख्त कानूनी अर्थ में लागू किया जाना है।

86. इस न्यायालय ने अंबिका प्रसाद मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1980* एस. सी. 1762 में इस मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

"6. यह याद रखना बुद्धिमत्तापूर्ण है कि पहले के फैसलों द्वारा खामोश की गई घातक खामियां मृत्यु के बाद जीवित नहीं रह सकतीं क्योंकि कोई निर्णय 'केवल

इसलिए अपना प्राधिकार नहीं खोता है कि वह बुरे तर्क पर आधारित था, अपर्याप्त रूप से विचार किया गया था और जिसका तर्क भ्रामक था।"

87. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुभाष जुनेजा और हरीश लाल सिंह की विशेष अनुमति याचिकाओं को दिनांक 23.4.2003 [सुभाष जुनेजा बनाम भारत संघ (2006) 14 एससीसी 384) के आदेश द्वारा खारिज करते हुए इन्हीं कार्यवाहियों में यह विचार व्यक्त किया है।इस न्यायालय ने अंतिम निर्णय और पूर्व-न्याय के सिद्धांत को लागू किया और इन्हीं कार्यवाहियों को फिर से खोलने से इनकार कर दिया।

88. श्रीमती किरण सूरी, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता ने मथुरा प्रसाद बाजू जायसवाल और अन्य बनाम दोसिबाई एन. बी. जीजीभोय (1970) 1 एस. सी. सी. 613 के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर अत्यधिक भरोसा किया, इस प्रस्ताव के लिए

कि किसी न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित प्रश्न को न्यायालय के एक गलत निर्णय द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक गलत निर्णय द्वारा यदि न्यायालय उस अधिकारिता को फिर से शुरू कर देता है जो उसके पास कानून के तहत नहीं है, तो यह प्रश्न उन्हीं पक्षकारों के बीच पूर्व न्याय के रूप में संचालित नहीं हो सकता है चाहे बाद की मुकदमेबाजी में वाद हेतुक समान हो या अन्यथा। हमारी राय में, पूर्वोक्त निर्णय प्रत्यर्थी को इस साधारण कारण से कोई मदद नहीं करता है कि वर्तमान मामले और मुकदमेबाजी के पूर्व दौर में शामिल तथ्य और कानून समान हैं। पूर्वोक्त निर्णय के अनुछेद 5 में, इस न्यायालय ने सिद्धांत निर्धारित किया है, जो इस प्रकार हैः

"5 किंतु पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित हैःइसे पक्षकारों के बीच विधायी निदेश की हैसियत तक ऊंचा नहीं उठाया जा सकता जिससे कि किसी न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करने वाली अधिनियमिति के निर्वचन से संबंधित प्रश्न का अंतिम रूप से उनके बीच

अवधारण किया जा सके, भले ही उसके द्वारा पक्षकारों के बीच विवाद में तथ्य या विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न और अधिकार से संबंधित प्रश्न का अवधारण न किया गया हो। एक मामले में एक सक्षम न्यायालय का निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच एक अन्य कार्यवाही में पूर्व न्याय हो सकता है: "प्रस्तुत विषय" तथ्य का मुद्दा हो सकता है, कानून का मुद्दा हो सकता है, या मिश्रित कानून और तथ्य में से एक हो सकता है।किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए गए तथ्य या मिश्रित विधि और तथ्य के मुद्दे का पक्षकारों के बीच अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाता है और उन्हें किसी अन्य कार्यवाही में उनके बीच पुनः नहीं खोला जा सकता है।केवल किसी मुद्दे पर पिछला निर्णय पूर्व न्याय है:निर्णय के कारण पूर्व निर्णय नहीं हैं। पक्षकारों के बीच निर्णयापेक्षी विषय एक पक्षकार द्वारा दावा किया गया और दूसरे पक्षकार द्वारा अस्वीकार किया गया अधिकार है, और अपनी प्रकृति से अधिकार का दावा तथ्यों के सबूत और उससे संबंधित विधि के लागू होने पर निर्भर करता है।किसी अधिकार को जन्म देने वाले तथ्यों से असंबद्ध कानून के शुद्ध प्रश्न को निर्णयापेक्षी विषय नहीं माना जा सकता है। जब यह कहा जाता है कि कोई पिछला निर्णय पूर्व न्यायिक निर्णय है, तो इसका मतलब है कि जिस अधिकार का दावा किया गया है, उस पर निर्णय हो गया है और उसे फिर से उसी पक्षकारों के बीच नहीं रखा जा सकता है।ऐसे तथ्यों पर सक्षम न्यायालय का पूर्व विनिश्चय, जो अधिकार का आधार है और उस संव्यवहार के अवधारण के लिए लागू सुसंगत विधि है, जो अधिकार का स्रोत है, पूर्व न्याय है।इस मुद्दे पर एक पूर्व निर्णय एक संयुक्त निर्णय है:विधि पर निर्णय को उन तथ्यों पर आधारित निर्णय से अलग नहीं किया जा सकता है जिन पर अधिकार आधारित है।कानून के मुद्दे पर एक निर्णय किसी बाद की कार्यवाही में पूर्व न्याय होगा (13 में से 12) [सीआरएलएमपी-99/2023] एक ही पक्ष के बीच, यदि बाद की कार्यवाही का वाद हेतुक

पिछली कार्यवाही के समान है, लेकिन तब नहीं जब वाद हेतुक अलग है, न ही जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले के निर्णय के बाद से कानून में परिवर्तन किया गया है, न ही जब निर्णय न्यायालय की पिछली कार्यवाही का विचारण करने की अधिकारिता से संबंधित है, न ही जब पहले का निर्णय किसी लेनदेन को वैध घोषित करता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है।"

(23) इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि पक्षकारों के लिए अंतिम निर्णयों को फिर से खोलना अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि यह न केवल कानून और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर हो सकता है, बल्कि इसका न्याय प्रशासन पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(24) एक न्यायिक घोषणा की विशेषता उसकी स्थिरता और अंतिमता है।न्यायिक निर्णय रेत के टीलों की तरह नहीं हैं जो हवा और मौसम की अनियमितताओं के अधीन हैं।यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि 'क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबेटर एक्स डायरेक्टो, प्रोहिबेटर एट पर ओब्लिकम' अर्थात कोई भी अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं कर सकता जो कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है।इस याचिका का प्रयास स्पष्ट रूप से इस अदालत द्वारा 30.09.2022 को दिए गए फैसले में एक महत्वपूर्ण संशोधन की मांग करना है, जिसे 25.11.2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और अनुमोदित किया गया है।किसी भी कानून के तहत इस तरह के प्रयास की अनुमति नहीं है।

(25) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा अब इस स्तर पर उठाए गए तर्कों में कोई बल नहीं है जहां मामले का फैसला और निष्कर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक किया गया है, कि सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाहियां अनुरक्षणीय नहीं थी क्योंकि उनके अधिकारों के न्यायनिर्णयन के लिए पक्षकारों के बीच दीवानी मुकदमा लंबित है।यहां यह ध्यान देने योग्य है कि पुनरीक्षण न्यायालय या उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया

है, लेकिन केवल निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं कि 03.12.1998 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने की तारीख से दो महीने दो महीने पहले पक्षकार संख्या 2 के पास विचाराधीन भूमि का कब्जा नहीं था। जाहिर है कि अब सिविल कोर्ट अपने समक्ष लंबित मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय संबंधित भूमि पर पार्टियों के अधिकारों और शीर्षक का फैसला करेगा। वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं.

(26) मामले के पूरे तथ्यों और अदालत में उपलब्ध कराई गई सामग्री का विश्लेषण करते हुए और मामले पर समग्र रूप से विचार करते हुए, इस न्यायालय की निश्चित राय है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने 20.10.2022 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है।

पूर्वोक्त कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार इसे बिना किसी लागत के खारिज किया जाता है.

स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (लंबित, यदि कोई हो) भी खारिज माने जाते हैं।

यह जताने की आवश्यकता नहीं है कि सिविल कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा और निर्धारित समय के भीतर लंबित मुकदमे का फैसला करेगा।

(अनूप कुमार ढण्ड), न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.